मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर एएस

राजस्व वाद संख्या :– 061/2024

1. सरस्वती पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

2. अमीत पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर हाल आबाद ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कृष्णा पुत्री मीरा जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. नरेन्द्रलाल पुत्र मीरा जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. मुकेश कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली हाल आबाद ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. संतोष पुत्री मीरा जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

– – प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 14:06.2024

वादी की ओर से श्री महेश कुमार गौड अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14:6:24 को संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित चक नम्बर 3 एम.जैड. डब्ल्यू. के खाता संख्या 23/20 की कुल 6.831 हैक्टर आराजी में से पत्थर नम्बर 201/365(21) किला नम्बर 2 ता 9/2.024 ... खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर ... के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन ... उक्त तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ... आदेशित किया जाता ... वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 14.06.2024 .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
...द पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
...क्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
...र्जी के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
...क्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
...मिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
...देशिका की तामिल	– –		
...ग	– –	योग	– –

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner